निर्णय बइजलास शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

प्र0सं0 09/17 अ.ना.क.

निर्णय दिनांक :– 27.11.2019

अनवान

1. श्री विनोद कुमार पिता नारायण लाल जी कलाल आयु बालिग निवासी कुण्डेली तहसील देवगढ़

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमान सरपंच ग्राम पंचायत सागांवास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. गेपालसिंह पिता सुजानसिंह जी रावत निवासी मालातो की वेर टाडगढ़ तहसील टाडगढ़ जिला अजमेर
3. श्रीमती रम्भा देवी पुत्री श्री सुजानसिंह जी पत्नि श्री इन्द्रसिंह जी रावत निवासी गुढा गंगाजी का तहसील मारवाड जक्शन जिला पाली
4. श्रीमती मगदु देवी पुत्री सुजानसिंह जी रावत पत्नि श्री मुलसिंह जी रावत निवासी झुतरा तहसील भीम जिला राजसमन्द

——रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू0–राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 1580 दिनांक 11.09.2017 ग्राम पंचायत सागांवास

उपस्थित :– 1. श्री इन्द्रमल कंसारा अधिवक्ता, अपीलान्ट

2. श्री लुम्बसिंह अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

अपीलान्ट की अपील संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुई कि अपीलग्रस्त भूमि ग्राम कुण्डेली पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ़ में स्थित है। जिसके वर्तमान खाता सं0 173 ख0नं0 570 रकबा 2.19 बीघा व ख0नं0 585 रकबा 2.06 बीघा कुल किता 2 रकबा 2.05 बीघा है। जिसके वर्तमान खातेदार रेस्पोडेन्ट सं0 02, 03, 04 है जिनका रेकार्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज है। अपीलान्ट ने उक्त आराजियात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2017 को उपपंजीयक कार्यालय देवगढ में पंजियन करा प्रतिफल देकर रेस्पोडेन्ट सं0 02, 03, 04 से खरीदी एवं वक्त खरीद से उक्त भूमि पर जैसा कब्जा रेस्पोडेन्ट सं0 02, 03, 04 का था वैसा मुझ अपीलाण्ट को सिपुर्द किया अर्थात् कुलिया भूमि अपीलाण्ट ने 02.12.10 बीघा खरीदी। भूमि खरीदने के बाद अपीलाण्ट ने अपने नाम दर्ज रेकार्ड कराने के लिये पटवारी हल्का सांगावास को विक्रय पत्र की प्रति प्रदान की। पटवारी हल्का सांगावास द्वारा ना0क0सं0 1580

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

रजिस्टर्ड बिकाव के आधार पर मुझ प्रार्थी के नाम इन्द्राज किया एवं रेकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार भू0अ0 निरीक्षक देवगढ द्वारा ना0क0सं0 की तस्दीक की गयी परन्तु ग्राम पंचायत सागांवास द्वारा मनमकसूद तरिके से उक्त ना0क0 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐतराज करने पर इस आधार पर खारिज करा दिया कि आपसी होने पर ना0क0सं0 45, 46 खारीज किया जाता है जबकि ग्राम पचांयत को मात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर ना0क0 स्वीकृत करना था। अन्य तस्दीक मौके एवं कब्जे करनी थी परन्तु ग्राम पंचायत ने जिसकी सरपंच विमला देवी है एवं उसके पिता छगनसिंह द्वारा ऐतराज किया गया जिस पर उसने अपने पिता के दबाव की वजह से अवधीपूर्ण तरीके से ना0क0 निरस्त कर दिया जो ग्राम पंचायत को अधिकार नही था। नामान्तकरण कोई कार्यवाही है एवं जमाबन्दी का रोटेशन है मैने भूमि विक्रय पत्र से खरीदी है मैं ना0क0 दर्ज कराने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं0 02, 03, 04 की जमीन पुस्तेनी है एवं सन् 1959 से ही सुजानसिंह एवं सुजानसिंह की मृत्यु के बाद रेस्पोडेण्ट सं0 02, 03, 04 राजस्व रेकार्ड के खातेदार है। उक्त खातेदारो से मैने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है। उक्त भूमि संबधी ना0क0 निरस्त उक्त स्टेज पर नही किया जा सकता किसी को आपत्ति थी तो सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिये था। परन्तु इस सबंध में कोई प्रकरण प्रस्तुत नही किया जाकर विधि विरूद्ध तरिके से से ना0क0 निरस्त कर दिया गया। ना0क0 निरस्त की जानकारी अपीलाण्ट को राजस्व रेकार्ड की नकले लेने पर हुई। ना0क0 निरस्त होने की जानकारी होते ही प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ना0क0सं0 1580 दिनांक 11.09.2017 के खारीज आदेश को निरस्त फरमा ग्राम पंचायत सागांवास द्वारा उक्त आंराजियात का वर्तमान खाता सं0 173 ख0नं0 570 रकबा 2.19 व ख0नं0 585 रकबा 2.06 बीघा भूमि मे से रेस्पोडेण्ट सं0 02, 03, 04 का नाम हटाया जाकर मुझ प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टगण को मय नकल अपील के सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं0 01 की ओर से अधिवक्ता श्री लुम्बसिंह ने वकालातनामा पेश किया तथा जवाब पेश कर निवेदन किया कि आ0नं0 570 रकबा 2.19 एवं आ0नं0 585 रकबा 2.06 में विक्रेता के जमाबन्दी वर्तमान में दर्ज हिस्से अनुसार अपील रिमाण्ड कर नामान्तकरण सं0 दर्ज किया जावे जो मुझे कोई आपत्ति नही है। रेस्पोडेण्ट सं0 02, 03, 04 को सम्मन तामिल हो जाने पर भी उपस्थित नही हुऐ जिस पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है।

हमने, अपील अपीलाण्ट, नकल जमाबन्दी, विक्रय पत्र नकल नामान्तकरण एवं पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा उन पर मनन किया। उपर्युक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अपीलग्रस्त भूमि अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेण्ट सं0 02, 03, 04 से खरीदी। ग्राम

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

पंचायत को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण पारित करना था लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नही कर मनमकसूद तरीके से ना0क0 खारीज कर दिया जो उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार देवगढ को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सूचना पत्र जारी कर उनकी सुनवाई की जाकर ग्राम पंचायत सांगावास द्वारा ना0क0सं0 1580 दिनांक 11.09.2017 के खारीज आदेश को निरस्त कर वर्तमान रिकोर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ना.क. पारित करने की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु निर्णय कि प्रति तहसीलदार देवगढ को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द
देवगढ़